न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 02/2022
दायर दिनांक : 14.03.2022
आदेश दिनांक : 12.07.2024

श्री चतरसिंह पुत्र सेसुसिंह जी जाति रावत उम्र 66 वर्ष निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमान् परियोजना निदेशक (अधीक्षण अभियन्ता) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड जोधपुर (राज0) 342001
3. श्रीमान् तहसीलदार सा0 भीम जिला राजसमन्द (राज0)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के तहत भूमि संरचना का मुआवजा व ब्याज दिलाने बाबत।

उपस्थितः–

श्री गोपाल आचार्य, अधिवक्ता – प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1 स्वयं
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 व 3

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 538 रकबा 0.1500 बीघा /बिस्वा राजस्व ग्राम सदारण पटवार हल्का कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द दर्ज रहीं। प्रार्थी की उपरोक्त आराजी नम्बर 538 रकबा 0.1500 बीघा/बिस्वा जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज रह कर प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में रहीं, जिस पर प्रार्थी व्यावसायिक फसल का उत्पादन करता रहा। उक्त भूमि में से 0.0665 हेक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (।।) में दिनांक 31.05.2013 को प्रकाशित अधिसुचना संख्या का.आ. 1407 (अ) दिनांक 31.05.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ब्यावर – बाघाना खण्ड तक (कि.मी. 89.020 से कि.मी. 103.410 एंव कि.मी. 105.750 से कि.

न्यायालय जिला कलक्टर

मी. 147.750 तक) के भुखण्ड के निर्माण (चौडा करने/चारलेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रचालन व प्रबन्ध हेतु अवाप्ति का सुचना पत्र प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया। आवाप्ति अधिकारी कार्यालय राजसमन्द द्वारा प्रेषित सुचना पत्र के पश्चात चतरसिंह की ओर से लिखित आक्षेप भी भुमि आवाप्ति अधिकारी कार्यालय राजसमन्द में प्रस्तुत किया था, वह भुमि प्रार्थी के परिवार के जीवन निर्वाह का एक मात्र जरिया रही है। उक्त जमीन का मुआवजा जो विपक्षी संख्या 1 ने डी0एल0सी0 रेट से काफी कम वितरित कर भारी भुल की, जिसे प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा उक्त जमीन को बारानी 2 मान कर मुआवजा तय कर भारी भुल की है जबकि वास्तव में वह बहु उपयोगी जमीन रही है, जिसमें प्रार्थी अपने स्तर पर 2,00,000 दो लाख रू खर्च कर फलदार पौधे लगाये वे पौधे दो साल के हो गये थे, जिनके मध्य मौसमी फसल भी ले रहे थे। किन्तु उक्त जमीन को केवल किस्म बारानी 2 बता कर नाम मात्र का मुआवजा दे, जिसकी लागत व भविष्य में होने वाली क्षति भी नहीं दिलायी गयी है, जिसे भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भुमि पर फलदार पौधे लगाये थे उसका मुआवजा भी तय नहीं कर भारी भुल की, भुमि का मुआवजा मात्र 57682 रू व जमीन की किमत डी.एल.सी दर से काफी कम मान कर मुआवजा तय किया जबकि वास्तविक दर राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने व मौके यानि जमीन पर फलदार पोधे होने से 4200 रू वर्ग मीटर से बनना चाहीये था. जो 27,93,000, रू होना चाहीये था। इस तरह से कुल 27,93,000 रू बनता तथा भविष्य के लाभ से भी वंचित हो गये है उसे भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी होता है, इन सब पर अब तक का ब्याज अलग से दिलाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित अनुसार मुआवजा निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 की और से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्ति के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ति और जवाब उल जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस सुनाई गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 538 रकबा Q. 1500 बीघा /बिस्वा राजस्व ग्राम सदारण पटवार हल्का कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द दर्ज रहीं। प्रार्थी की उपरोक्त आराजी नम्बर 538 रकबा 0.1500 बीघा/बिस्वा जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज रह कर प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में रहीं, जिस पर प्रार्थी व्यावसायिक फसल का उत्पादन करता रहा। उक्त भूमि में से 0.0665 हेक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 घ की उपधारा

न्यायालय जिला कलक्टर

(2) के अनुसरण में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (।।) में दिनांक 31. 05.2013 को प्रकाशित अधिसुचना संख्या का.आ. 1407 (अ) दिनांक 31.05.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ब्यावर – बाघाना खण्ड तक (कि.मी. 89.020 से कि.मी. 103.410 एंव कि.मी. 105.750 से कि. मी. 147.750 तक) के भुखण्ड के निर्माण (चौडा करने/चारलेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रचालन व प्रबन्ध हेतु अवाप्ति का सुचना पत्र प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया। आवाप्ति अधिकारी कार्यालय राजसमन्द द्वारा प्रेषित सुचना पत्र के पश्चात चतरसिंह की ओर से लिखित आक्षेप भी भुमि आवाप्ति अधिकारी कार्यालय राजसमन्द में प्रस्तुत किया था, वह भुमि प्रार्थी के परिवार के जीवन निर्वाह का एक मात्र जरिया रही है। उक्त जमीन का मुआवजा जो विपक्षी संख्या 1 ने डी0एल0सी0 रेट से काफी कम वितरित कर भारी भुल की, जिसे प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा उक्त जमीन को बारानी 2 मान कर मुआवजा तय कर भारी भुल की है जबकि वास्तव में वह बहु उपयोगी जमीन रही है, जिसमें प्रार्थी अपने स्तर पर 2,00,000 दो लाख रू खर्च कर फलदार पौधे लगाये वे पौधे दो साल के हो गये थे, जिनके मध्य मौसमी फसल भी ले रहे थे। किन्तु उक्त जमीन को केवल किस्म बारानी 2 बता कर नाम मात्र का मुआवजा दे, जिसकी लागत व भविष्य में होने वाली क्षति भी नहीं दिलायी गयी है, जिसे भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भुमि पर फलदार पौधे लगाये थे उसका मुआवजा भी तय नहीं कर भारी भुल की, भुमि का मुआवजा मात्र 57682 रू व जमीन की किमत डी.एल.सी दर से काफी कम मान कर मुआवजा तय किया जबकि वास्तविक दर राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने व मौके यानि जमीन पर फलदार पोधे होने से 4200 रू वर्ग मीटर से बनना चाहीये था. जो 27,93,000, रू होना चाहीये था। इस तरह से कुल 27,93,000 रू बनता तथा भविष्य के लाभ से भी वंचित हो गये है उसे भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी होता है, इन सब पर अब तक का ब्याज अलग से दिलाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित अनुसार मुआवजा निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 व 03 ने प्रारम्भिक आपत्ति और जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम सदारण पटवार हल्का कुरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 538 के अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी0एल0सी0 दर बाबत उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरिय कमेटी की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादग्रस्त आराजी नम्बर 538 की भूमि किस श्रेणी में आती है। प्रार्थी की ओर से अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में व्यावसायिक फसल उत्पादन हेतु प्रमाण आदी प्रस्तुत नहीं किया जबकि धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the

न्यायालय जिला कलक्टर

land on the date of publication of the notification u/s 3(A) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कारण प्रार्थना पत्र कब उत्पन्न हुआ उसके बारे में कहीं भी कोई तथ्य दर्ज नहीं किया है। भूमि अवाप्ति जिसमें कि संबन्धित अवाप्ति अधिकारी ने आराजी नम्बर 538 की अवाप्त 0.0665 हेक्टर भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की है उस बावत् भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड कब जारी किया गया उसका भी प्रार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं किया है। प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष यह साबित नहीं किया है कि प्रार्थी किस आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 03 (जी) (7) के तहत कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आम सूचना प्रकाशित किये जाने के नियत समयावधि के भीतर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना हीं प्रार्थी की और से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रार्थी की और से निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। जबकि नेशनल हाईवे एक्ट कि धारा 03 (सी) में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि Sec 03 C&Hearing Of Objection: [1]- Any Person interested in the land may] within twenty one day from the date of publication of the notification under sub&section [1] of section 3a object to the use of land for the purpose mentioned in that sub-section. उक्तानुसार नेशनल हाईवे एक्ट कि धारा 03 (सी) के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से एवं प्रार्थी की ओर से निर्धारित अवधि में आपत्तिया सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी आप न्यायालय को मुगालते में रखते हुए अब न तो कोई बढी हुई राशि प्राप्त करने का अधिकारी है और न ब्याज या अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 3 ने नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं गौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि 57682/– रूपये प्रार्थी के पक्ष में जारी विपक्षीगण द्वारा की जा चुकी है। जिसे प्रार्थी बैंक संख्या 530717 दिनांक 25.04.2014 द्वारा प्राप्त कर चुका है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि को अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए हितधारकों की भूमि को राजमार्ग निर्माण हेतु नियमानुसार अवाप्त किया गया जिसे नियमानुसार सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (3) के तहत आपत्तियों करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार, तहसीलदार भीम से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जॉच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार/हितधारी की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी कि अवाप्त भूमि का जो मुआवजा तैयार किया वह विधि अनुसार निर्धारित किया है जिसका अंकन पूर्व में किया जा चुका है मौके की रिथती एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर

न्यायालय जिला कलक्टर

मुआवजा निर्धारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण ज्ञात नहीं आया है जिससे प्रार्थी की उक्त कलम में दर्ज कथन को स्वीकार किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 (क) की अधिसूचना के समय प्रचलित डी०एल०सी० दर देय होगी। उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 3(जी) 3 के तहत आपत्तियों क निराकरण करते हुए प्राप्त राजस्व अभिलेख एवं गौके की जाँच रिपोर्ट एवं तत्समय प्रचलित दर अनुसार अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड प्राथी को जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया हैकि । declaration made by the Central Government under sub& section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority. अतः कानुनन प्रार्थी अब वेग आधारों पर जो न्यायिक सिद्वान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु होने का अंकन करके आया है वह विधि अनुसार उक्त, प्रार्थना पत्र लागु नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा डी0एल0सी0 दर से निर्धारित करते हुए नियमानुसार भुगतान जारी करना प्रमाणित पाया गया। प्रकरणाधीन भूमि के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र /बहस कथन में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य, सबूत या दस्तावेज पेश नही किये। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की अवार्ड पत्रावली प्रेषित हों।

(डॉ0 भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ0 भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)